

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2140 / 2008 / जयपुर.

मैसर्स इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर.

2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, राज., जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

श्री ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29 / 02 / 2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 33/अपील्स-11/आरएसटी/जयपुर/वि.वृ. राज./2007-08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.05.2008 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2004-05 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.01.2007 को अधिनियम की धारा 29 के तहत पारित किया गया, जिनमें निम्न बिन्दुओं पर कर, सरचार्ज व ब्याज का आरोपण किया गया, जिनके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 31.05.2008 पारित करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया गया है :-

(1) आलौच्य अवधि के टर्नओवर टैक्स पर 15 प्रतिशत की दर से सरचार्ज एवं तदनुसार ब्याज का आरोपण किया गया। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी ने टर्नओवर टैक्स पर सरचार्ज की देयता नहीं मानते हुए, आरोपित सरचार्ज व ब्याज को अपास्त किया गया है।



लगातार.....2

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67)टैक्स/2004-24 दिनांक 12.07.2004 द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों (High and light speed diesel oil) पर कर की दर 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की गई। किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 12.07.2004 को बिक्रीत माल पर 16 प्रतिशत की दर से ही कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 12.07.2004 से ही कर दर 20 प्रतिशत मानते हुए तदनुसार 4 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि करते हुए कर व ब्याज को विधिसम्मत माना है।

(3) आलौच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ठेकेदारों से संकर्म संविदा कार्य करवाये गये हैं। उक्त संविदा कार्यों के पेटे बनने वाले कर के पेटे रुपये 45,479/- कम जमा करवाये गये, अतः कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त राशि पर ब्याज का आरोपण किया। इसके साथ ही काटी गयी टी.डी.एस. राशि विलम्ब से जमा करवाने पर भी ब्याज का आरोपण किया गया। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की है।

(4) अपीलार्थी द्वारा देय नियमित कर नियत तिथि को बैंक में जरिये चैक जमा करवाया गया है, किन्तु उक्त राशि का राजकोष में विलम्ब से क्रेडिट होने के कारण धारा 58 के तहत ब्याज का आरोपण किया गया। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की है।

(5) आलौच्य अवधि का देय टर्नओवर टैक्स विलम्ब से जमा होने पर ब्याज का आरोपण किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की है।

(6) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 से टर्नओवर टैक्स समाप्त कर दिया गया। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपने ग्राहकों से दिनांक 12.07.2004 को भी टर्नओवर टैक्स की वसूली की गयी है। अतः उक्त वसूली की गयी राशि रुपये 9,56,186/- को जब्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने इस बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की है।

3. अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 31.05.2008 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 2 से 6 के सम्बन्ध में यह अपील पेश की गयी है।



 लगातार.....3

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि दिनांक 12.07.2004 को जारी अधिसूचना की जानकारी अपीलार्थी को सांयकाल 5 बजे होने से उक्त दिवस को पुरानी दर अर्थात् 16 प्रतिशत से ही कर वसूल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी अधिसूचना जारी होने की दिनांक के अगले दिवस से ही प्रभावी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में दिनांक 12.07.2004 को की गयी बिक्री के पेटे आरोपित अन्तर कर व ब्याज का आरोपण प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध किया गया है, अपीलीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा ठेकेदारों से करवाये गये संविदा कार्यों के पेटे नियमानुसार टी.डी.एस. काटकर राजकोष में जमा करवाया गया है, अतः इस बिन्दु पर आरोपित कर व ब्याज का आरोपण विधि विरुद्ध किया गया है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा देय नियमित कर राशि हाईवेल्सू के चैक्स के माध्यम से समयावधि में जमा करवायी गयी है तथा उसके खाते से राशि भी उसी दिन डेबिट हो गयी है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत ब्याज का आरोपण अविधिक रूप से किया गया है, जिसकी पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भी विधिक त्रुटि की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि आलौच्य अवधि में देय टर्नओवर टैक्स समयावधि में राजकोष में जमा करवाया गया है, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी इस बिन्दु पर अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। दिनांक 12.07.2004 को ग्राहकों से वसूले गये टर्नओवर टैक्स रूपये 9,56,186/- की जब्ती को विधि विरुद्ध बताते हुए इस बिन्दु पर कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश को अविधिक बताया।

5. विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1998) 109 एस.टी.सी. 376 कलेक्टर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज बनाम न्यू टॉबेको कंपनी व अन्य; माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (2001) 29 आर.टी.जे.एस. 99 (राज.) गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य; माननीय मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1992) 196 आई.टी.आर. 318 यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य बनाम एशिया टॉबेको कम्पनी लिमिटेड एवं माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 35 एस.टी.सी. 319 जी. नारायण रेड्डी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश व अन्य प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।


 लगातार.....4

6. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।
8. हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि दिनांक 12.7.2004 को बिक्रीत पेट्रोलियम उत्पादों पर कर की दर क्या होगी ? इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(30)एफडी/टैक्स-डिवी./2002-143 दिनांक 22.03.2002 की प्रविष्टि संख्या 189 निम्न प्रकार है :-

S.O. 390. - In exercise of the powers conferred by S.4, RST Act, 1994, and in supersession of this Department notfn. No. F.4(30)FD/Tax Div./2001-12 dated 29.3.2001 (as amended from time to time) [S.No.1420], the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby provides that with immediate effect the rate of tax payable by a dealer in respect of the goods specified in Column 2 of the List annexed hereto, shall be as shown against them in Column 3 of the said List :-


Item No.	Description of goods	Rate of tax (%)
1	2	3
189.	High and light speed diesel oil.	16

9. इसी प्रकार अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67)टैक्स/2004-22 दिनांक 12.07.2004 की प्रविष्टि संख्या 195 निम्न प्रकार है :-

S.O. 62. - In exercise of the powers conferred by section 4 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995), and in supersession of this Department Notification No. F.4(30)FD/Tax Div./2002-143, (S.No.1407) dated March 22, 2002 (as amended from time to time), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby provides that with immediate effect the rate of tax payable by a dealer in respect of the goods specified in Column 2 of the List annexed hereto, shall be as shown against them in Column 3 of the said List :-

Item No.	Description of goods	Rate of tax (%)
1	2	3
195.	High and light speed diesel oil.	20

10. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67)टैक्स/2004-24 दिनांक 12.07.2004 निम्न प्रकार है :-




लगातार.....5

S.O. 64. - In exercise of the powers conferred by section 13 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby rescinds this Department's notifications No. F.4(37)FD/Tax Div./98-72 (S.No.1000) dated 01-08-1998 (as amended from time to time), relating to levy of surcharge.

11. इसी प्रकार अधिसूचना क्रमांक एफ.4(67)टैक्स/2004-25 दिनांक 12.07.2004 निम्न प्रकार है :-

S.O. 65. - In exercise of the powers conferred by section 13 read with section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby rescinds this Department's following notifications (as amended from time to time), namely.-

1. No. F.4(12)FD/Tax Div./2001-37 (S.No. 1680) dated 01-05-2003 [relating to rate of turnover tax];
2. No. F.4(12)FD/Tax Div./2001-38 (S.No. 1681) dated 01-05-2003 [relating to turnover tax exemption to a class of dealers]; and
3. No. F.4(4)FD/Tax Div./99-pt-59 (S.No. 1697) dated 28-06-2003 [relating to Eemption Fee Scheme of turnover tax.].

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2001) 29 आर. टी.जे.एस. 99 (राज.) गोडफ्रे फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 31.05.2000 के पैरा 55 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-

"55. There is yet another reason to arrive at the aforesaid conclusion. The expression "notification in Official Gazette", used under Act No. 13 of 1999, means its publication within the meaning of the Rajasthan Gazette (Rajpatra) Act, 1956. It is to be noticed that to facilitate the interpretation of laws enacted by State Legislature, Rajasthan General Clauses Act, 1955 has been enacted, wherein under section 25, publication of orders, notification, etc., in Rajasthan Gazette, is to be deemed to be due publication. In a democratic country like ours, mere publication is not sufficient, unless, it is made available to the public at large. Looking to the decision rendered in the case of *New Tobacco Co. (1998) 109 STC 376 (SC); (1998) 8 SCC 250*, it is held that after publication on January 6, 2000 shall be deemed to be available to public at large including the petitioners at least on January 7, 2000. It is to be imbibed that in legal terminology, day includes night, therefore, the publication of notification in Official Gazette, on January 6, 2000,




लगातार.....6

can be extended up to 12 midnight. In such a situation, by necessary implication, it can be presumed that the clarificatory notification published on January 6, 2000 was made available for general public on January 7, 2000. Hence, January 7, 2000 is to be taken to be the day on which the aforesaid notification partakes the shape of law. It is well to remember in this regard that if two inferences are possible from the date of publication of notification on January 6, 2000, then, the inference which is in favour of subject, is to be preferred."

13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित निर्णय के प्रकाश में यह निष्कर्षित किया जाता है कि अधिसूचनायें, जो दिनांक 12.7.2004 को जारी की गयी हैं, दिनांक 13.7.2004 से लागू होंगी तथा दिनांक 12.7.2004 को बेचे गये माल पर दिनांक 12.7.2004 तक प्रभावी कर दर, टर्नओवर टैक्स, सरचार्ज, प्रवेश कर वसूली योग्य होंगे।

14. नियमित कर विलम्ब से जमा होने के सन्दर्भ में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जमा करवाये गये चैक का भुगतान व्यवहारी के खाते से नियत दिनांक को ही आहरित हो गया था, किन्तु राज्य सरकार के खाते में विलम्ब से जमा हुआ है, इस सम्बन्ध में राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 का नियम 42(4) निम्न प्रकार है :-


42. General mode of payment of tax, demand or other sum.-

(4) The date of payment for the purpose of these rules shall be the date on which cash is deposited, a demand draft is received in the office or a cheque is encashed and deposited in the account of the State Government.

15. इसी प्रकार अधिनियम की धारा 58 निम्न प्रकार है :-

58. Interest on failure to pay tax or other sum payable

(1) Where a dealer or a person commits default in making the payment of any amount of tax leviable or payable or of any amount of tax leviable or payable or of any amount of tax, fee, interest or penalty assessed or determined or of any amount or demand otherwise payable, within the specified time under the provision of this Act or the rules made or notification issued thereunder, such dealer or person shall be liable to pay interest on such amount at the rate of two per cent per month, for the period starting from the day immediately succeeding the date specified for such payment and ending with the day on which such payment is made.

लगातार.....7

(2) Subject to the provisions of sub-section (2) of section 70, interest under sub-section (1) shall be calculated -

(a) at the time of assessment under any section or in continuation of such assessment; and

(b) on payment including adjustment of a demand in full.

(3) The liability to pay interest under the provisions of this section shall also arise for a period which is less than a month.

16. राजस्थान विधायक नियम, 1995 के नियम 42(4) एवं धारा 58 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि भुगतान की तिथि वही मान्य होगी, जिस तिथि को राजकोष में नकद राशि जमा हुई हो, या डिमाण्ड ड्राफ्ट ऑफिस में प्राप्त हुआ हो, या बैंक Encash हुआ हो, तथा बैंक का Encash विलम्ब से होने की स्थिति में धारा 58 के तहत ब्याज आरंभणीय है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विलम्ब के लिये अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज का आरंभण किये जाने में तथा अधीनीय अधिकारी द्वारा इस विन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रति करते हुए नियम 42(4) अन्वयार कर्तव्यवादी किये जाने हेतु निर्दिष्ट किये जाने में कोई विधिक चुटि नहीं की गयी है। अतः इस विन्दु पर अधीनस्थों की अधील अस्वीकार की जाती है।

17. इसी प्रकार टर्नओवर टैक्स के विलम्ब से जमा होने के आधार पर ब्याज आरंभण किये जाने में भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई विधिक चुटि नहीं की गयी है तथा अधीनीय अधिकारी द्वारा इस विन्दु पर अधील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक चुटि नहीं की गयी है।

18. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक संख्या एक.4(67)एफडी/टैक्स/


2004-05 दिनांक 12.7.2004 से टर्नओवर टैक्स समान कर दिया गया, जबकि अधीनस्थों व्यवहारी द्वारा उक्त दिनांक की भी ग्राहकों से टर्नओवर टैक्स वसूल किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजसात/जब (forfeit) किया गया है। अधिनियम की धारा 63 के अन्वयार किसी भी व्यवहारी द्वारा कर के रूप में वसूल की गई अवधिगत राशि विभागीय अधिकारियों द्वारा राजसात की जा सकती है। माननीय मद्रस उक्त न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1997) 106 एम.टी.सी. 372 (मद्रस) स्थानिक हाकसहोल्ड एण्ड इन्वैस्टिमेंट प्रोडक्ट्स ब्रानच लिमिटेड तथा माननीय ब्रान्च उक्त न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (1988) 70 एम.टी.सी. 25 (ब्रान्च) एम.ई.सी. ब्रान्च वी.जी.माहिंकर, ए.सी. वसूल की गई अवधिगत राशि राजसात/जब किये जाने योग्य है। अतः कर


निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से वसूल की गई टर्नओवर टैक्स की राशि राजसात की जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सीमा तक अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

19. अतः दिनांक 12.07.2004 को की गई बिक्री के सम्बन्ध में आरोपित अतिरिक्त कर के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12.07.2004 को की गई बिक्री पर दिनांक 12.07.2004 तक लागू कर दर के अनुसार समग्र कर यथा बिक्री कर, सरचार्ज, टर्नओवर टैक्स वसूली योग्य होंगे तथा दिनांक 12.07.2004 को लागू 20 प्रतिशत की दर दिनांक 13.07.2004 से वसूली योग्य होगी। अतः उपरोक्त निर्देशानुसार व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण में विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

20. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

21. निर्णय सुनाया गया।


29-2-2016
(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य


29.02.2016
(मनोहर पुरी)
सदस्य